न्यायालय :— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न, (म॰प्र॰)

क्रमांक— 03 /सी•जे•एम•/2025 सिंगरौली, दिनांक 15.01.2025

:: **आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक 2025** ::

मैं महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न (म॰प्र॰) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) और 13(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न के अनुमोदन उपरांत सिंगरौली जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक कार्य का विभाजन निम्नानुसार करता हूं कि— जो दिनांक— 23/01/25 से अन्य आदेश होने तक निरंतर प्रभावशील रहेगा :—

क्र0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रकरणों का स्वरूप/क्षेत्राधिकार	रिमार्क
1.	महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म॰प्र॰)	**1.** पुलिस थाना बैढ़न, पुलिस थाना विन्ध्यनगर, पुलिस उप थाना जी.आर.पी. जिला सिंगरौली के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, (भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत अपराध को छोड़कर), (धारा 144 बी•एन•एस•एस•, मुस्लिम विधि, के अंतर्गत प्रकरणों को छोड़कर) (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर)। **2.** पुलिस थाना बैढ़न एवं विन्ध्यनगर के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित प्रकरण। **3.** सिविल जिला सिंगरौली भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले सेन्ट्रल एक्साइज एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **4.** नगर निगम सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। **5.** नाप—तौल विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। **6.** सिविल जिला सिंगरौली भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत समिति द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। **7.** सिविल जिला सिंगरौली भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण। **8.** आरक्षी केन्द्र बैढ़न एवं विन्ध्यनगर के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित	

		प्रकरण। 9. आरक्षी केन्द्र बैढ़न एवं विन्ध्यनगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले एन•डी•पी•एस•एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 10. आबकारी वृत्त बैढ़न एवं मोरवा द्वारा प्रस्तुत आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 11. सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों के धारा– 306 दं0प्र0सं0/धारा 343 बी.एन.एस.एस. के अधीन अभियुक्तों के वायदा माफी के प्रकरण तथा दो वर्ष या इससे अधिक की पूर्व दोषसिद्धि वाले अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण। 12.सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले खारिजी प्रतिवेदन (ई0आर0)। 13.थाना बैढ़न एवं विन्ध्यनगर से उद्भूत होने वाले खात्मा प्रतिवेदन। 14.सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उत्पन्न इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1996 एवं मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 15.थाना यातायात सिंगरौली से उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण। 16.थाना यातायात सिंगरौली के समस्त खात्मा प्रकरण। 17.परिवहन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली से उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण। 18.परिवहन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली के समस्त खात्मा प्रकरण। 19.श्रम विभाग जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न से उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण। 20. ऐसे प्रकरण जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है, से संबंधित प्रकरण।	
2.	श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म॰प्र॰)	1. पुलिस थाना मोरवा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन• डी• पी• एस• एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा	

		विचारणीय हो) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर)। 2. पुलिस थाना मोरवा के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. थाना मोरवा के समस्त खात्मा प्रकरण। 4. खनिज विभाग द्वारा जिला सिगरौली, मुख्यालय बैढ़न पर लगने वाल समस्त थानों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 5. वन परिक्षेत्र(रेंज) वैढ़न, माड़ा एवं गोरबी मुख्यालय बैढ़न से उत्पन्न होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण। 6. थाना मोरवा से उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र, आवेदन पत्र धारा 156(3) द.प्र.स/धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोडकर)। 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।	
3.	श्री कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म॰प्र॰)	1. पुलिस थाना माड़ा एवं नवानगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस., आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित समस्त प्रकरण, (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर)। 2. थाना माड़ा एवं नवानगर के समस्त खात्मा प्रकरण। 3. मुख्यालय बैढ़न पर लगाने वाले थानों के ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त दांडिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र। 4. थाना माड़ा एवं नवानगर के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के समस्त प्रकरण। 5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे	

		जाएँ।	
4.	श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म॰प्र॰)	1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000, धारा 4) के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सिविल जिला सिंगरौली के समस्त थानों से उत्पन्न विधि के विरूद्ध किशोर से संबंधित समस्त प्रकरण। 2. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर सौंपे जाएँ।	
5.	सुश्री राजश्री भार्गव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म॰प्र॰)	1. महिला थाना मुख्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं धारा 156(3) द.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस. के आवेदन पत्र। 2. महिला थाना बैढ़न(सिंगरौली) के समस्त खात्मा प्रकरण। 3. पुलिस थाना बैढन, विंध्यनगर, मोरवा, नवानगर, माडा तथा लंघाडोल के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले दहेज प्रतिषेध अधिनियम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विचारण योग्य महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण, परिवाद पत्र, धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस. के आवेदन पत्र, धारा 125 से 128 दं0प्र0सं0/ धारा 144 एवं 147 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण एवं आवेदन पत्र (कुटुंब न्यायालय के क्षेत्राधिकार वाले प्रकरणों को छोडकर) एवं (ग्राम न्यायालय से संबंधित उत्पन्न प्रकरणों को छोड़कर) 4. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर सौंपे जाएँ।	
6.	सुश्री प्रिन्सू मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म॰प्र॰)	1. पुलिस थाना लंघाडोल के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन॰ डी॰ पी॰ एस॰ एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा	

		विचारणीय हो)। 2. थाना लंघाडोल के समस्त खात्मा प्रकरण। 3. थाना लंघाडोल के क्षेत्राधिकार के परिवाद पत्र, आवेदन पत्र धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोडकर) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर)। 4. थाना लंघाडोल के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के समस्त प्रकरण। 5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।	
7.	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म॰प्र॰)	1. थाना बैढ़न से उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र धारा 156(3) दं.प्र.स/धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.। (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोडकर) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर)। 2. थाना बैढ़न के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।	
8.	सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न (म॰प्र॰)	1. थाना विंध्यनगर से उत्पन्न समस्त परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र धारा 156(3) दं.प्र.स/धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.। (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोडकर) एवं (घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मामलों को छोड़कर) 2. थाना विंध्यनगर के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 3. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएँ।	
9.	श्री विष्णुकांत मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	1. पुलिस थाना बरगवां के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनिमय एवं एन0डी0	

		पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो) 2. परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.। (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोडकर)। 3. पुलिस थाना बरगवां के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण। 4. थाना बरगवां के समस्त खात्मा प्रकरण। 5. वन परिक्षेत्र (रेंज) जियावन, चितरंगी एवं कर्थुआ से उत्पन्न होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण। 6. खनिज विभाग द्वारा जिला सिगरौली, तहसील मुख्यालय देवसर पर लगने वाल समस्त थानों के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 7. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।	
10.	श्रीमती अदिती तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	**1.** पुलिस थाना गढ़वा के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। **2.** थाना गढ़वा के समस्त खात्मा प्रकरण। **3.** थाना बरगवां, जियावन, चितरंगी एवं गढ़वा से उत्पन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण योग्य महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा से संबंधित समस्त दाण्डिक प्रकरण। 4. थाना बरगवां, जियावन, चितरंगी एवं गढ़वा थाने के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 125 दं.प्र.सं./144 बी.एन.एस.एस. से 128 दं.प्र.सं./147 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत भरण–पोषण के आवेदन पत्र, घ रेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।	

		5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर सौंपे जाये।	
11.	श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	1. पुलिस थाना जियावन के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, आबकारी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं एन0डी0पी0 एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो) 2. थाना जियावन के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परिवाद पत्र, आवेदन पत्र धारा 156(3) दं.प्र.सं. / धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोडकर)। 3. थाना जियावन के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित प्रकरण। 4. थाना जियावन के समस्त खात्मा प्रकरण। 5. आबकारी वृत्त देवसर से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 6. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।	
12.	श्री अनिल नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	1. पुलिस थाना चितरंगी के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण,श्री अंकुर तिवारी आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन0डी0 पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित उन अपराधों को छोड़कर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो) 2. थाना चितरंगी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परिवाद पत्र, आवेदन पत्र धारा 156(3) दं.प्र.सं. / धारा 175(3) बी.एन.एस.एस. (महिलाओं के विरूद्ध किए गए लैंगिक हिंसा से संबंधित अपराधों को छोडकर)। 3. थाना चितरंगी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम,	

		1881 से संबंधित प्रकरण 4. थाना चितरंगी के समस्त खात्मा प्रकरण। 5. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।	
13.	श्री हर्षवर्धन राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरई, जिला सिंगरौली (म0प्र0)	1. पुलिस थाना सरई के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, आबकारी अधिनियम एवं एन0डी0 पी0एस0 एक्ट (अल्प मात्रा) से संबंधित प्रकरण। 2. थाना सरई के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परिवाद पत्र एवं आवेदन पत्र धारा 156(3) दं.प्र.सं./धारा 175(3) बी.एन.एस.एस.। 3. थाना सरई के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 125 दं.प्र.सं./144 बी.एन.एस.एस. से 128 दं.प्र.सं./147 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रस्तुत भरण–पोषण के आवेदन पत्र, घ रेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 4. थाना सरई के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न परकाम्य लिखित अधिनियम, 1881 से संबंधित समस्त प्रकरण। 5. थाना सरई के समस्त खात्मा प्रकरण। 6. आबकारी वृत्त सरई से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। 7. वन परिक्षेत्र (रेंज) पूर्व सरई, पश्चिम सरई एवं बरगवां से उत्पन्न होने वाले वन अपराध के समस्त प्रकरण। 8. खनिज विभाग द्वारा थाना सरई के भौगोलिक क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1952 से उत्पन्न समस्त प्रकरण। 9. ऐसे समस्त प्रकरण जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।	

<u>नोट–</u>

1. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकारिता में चलित न्यायालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं पूर्व सूचना उपरांत आयोजित करेंगे।

2. स्थानांतरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियां प्राप्त

होंगी जो उनके पूर्व अधिकारी को इस कार्य विभाजन के आदेश से प्राप्त है।

3. अवकाश, स्थानांतरण एवं अनुपस्थिति इत्यादि की दशा में आवश्यक दाण्डिक कार्य, रिमाण्ड, जमानत, आवश्यक सुपुर्दनामा आदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किऐ जायेंगे जिसकी सूचना सूची में संलग्न है, प्रभार क्रमशः रहेगा।

4. किसी भी कारण से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण में, जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है, के निराकरण में सक्षम रहेंगे।

5. आरक्षी केंद्र के रिमाण्ड प्रपत्र जो लम्बित हैं, उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किया जावे।

6. लंबित आपराधिक प्रकरण इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

7. सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में आवश्यक दाण्डिक कार्य निष्पादन करने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किए जावेंगे।

8. आकस्मिक अवकाश की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

9. धारा 164 द0प्र0स0/धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत संस्वीकृतियां एवं कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर क्रमशः द्वितीय प्रभारी एवं फिर पश्चात्वर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

10. जिन न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं हुई है और वह न्यायालय रिक्त है तो मुख्यालय बैढ़न जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरणों में उनसे संबंधित समस्त वारण्ट, अन्य विविध कार्यवाहियां, अपील/पुनरीक्षण में पारित निर्णय एवं आदेश का परिपालन संबंधी कार्यवाहियां थाना मोरवा व वन विभाग की श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिंगरौली म.प्र., थाना बैढ़न की श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिंगरौली म.प्र., थाना विंध्यनगर की सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली म.प्र., थाना लंघाडोल की सुश्री प्रिन्सू मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली म.प्र., थाना नवानगर एवं माड़ा की श्री कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली म.प्र., महिला थाना की सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली म.प्र. के द्वारा संपादित की जावेगी।

11. तहसील मुख्यालय देवसर एवं सरई में जिन मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं हुई है और वह न्यायालय रिक्त है तो ऐसे मजिस्ट्रेट/न्यायालय के प्रकरणों में उनसे संबंधित समस्त वारण्ट, अन्य विविध कार्यवाहियां अपील/पुनरीक्षण में पारित निर्णय/आदेश का परिपालन संबंधी कार्यवाहियां संबंधित थाना पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा कार्य संपादित की जावेगी।

12. समस्त मजिस्ट्रेटगण अपने–अपने क्षेत्राधिकार वाले थानों के धारा 52क एन.डी.पी.एस. एक्ट के आवेदनों का निराकरण करेंगे अर्थात् धारा 52क एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही करेंगे।

12ए. इसके अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी सर्वश्री पुष्पेन्द्र भार्गव थाना बैढ़न के, सुश्री सिमरन गुप्ता थाना विंध्यनगर के द्वारा प्रस्तुत धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के आवेदनों का निराकरण करेंगे अर्थात् धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही करेंगे।

13. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न श्रीमती बार्बी जुनेजा अग्रवाल के अवकाश पर होने की दशा में तथा वर्तमान में बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से बोर्ड का आवश्यक कार्य, कार्य दिवस में सुश्री प्रिन्सू मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न म.प्र, उनके अवकाश पर रहने पर सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न म.प्र, एवं उनके अवकाश पर रहने पर सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सिंगरौली, मुख्या. बैढ़न म.प्र. द्वारा एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों में संबंधित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

15.1.25

(महेन्द्रपाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

अनुमोदित

प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली, मुख्या० बैढ़न (म०प्र०)

–: परिशिष्ट–अ :–

जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्नानुसार धारा 164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के अधीन संस्वीकृतियॉ तथा कथन अभिलिखित करेंगे।

क्र0	थाना का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	कोतवाली बैढन	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव	सुश्री सिमरन गुप्ता	श्री कृष्णा अग्रवाल
2	विंध्यनगर	सुश्री सिमरन गुप्ता	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव	श्री नीरज पवैया
3	मोरवा	श्री कृष्णा अग्रवाल	सुश्री प्रिन्सू मिश्रा	सुश्री राजश्री भार्गव
4	माड़ा	श्री नीरज पवैया	सुश्री सिमरन गुप्ता	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव
5	नवानगर	सुश्री प्रिन्सू मिश्रा	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव	सुश्री सिमरन गुप्ता
6	लंघाडोल	श्री हर्षवर्धन राठौर	श्री कृष्णा अग्रवाल	श्री नीरज पवैया
7	अजाक सिंगरौली	सुश्री सिमरन गुप्ता	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव	सुश्री प्रिन्सू मिश्रा
8	जियावन	श्री विष्णुकांत मिश्रा	श्री अनिल नामदेव	श्रीमती अदिति तिवारी
9	बरगवां	श्री अंकुर तिवारी	श्री अनिल नामदेव	श्रीमती अदिति तिवारी
10	चितरंगी	श्रीमती अदिति तिवारी	श्री विष्णुकांत मिश्रा	श्री अंकुर तिवारी
11	गढ़वा	श्री अनिल नामदेव	श्री अंकुर तिवारी	श्री विष्णुकांत मिश्रा
12	सरई	श्री अनिल नामदेव	श्री विष्णुकांत मिश्रा	श्री अंकुर तिवारी

नोट :–

1. तहसील मुख्यालय देवसर पर लगने वाले समस्त थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित प्रकरणों के विचारण का क्षेत्राधिकार श्रीमती अदिति तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर को प्राप्त होने से तथा मुख्यालय देवसर पर अन्य कोई महिला मजिस्ट्रेट पदस्थ न होने से माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2023 के आलोक में मुख्यालय देवसर पर लगने वाले समस्त थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अपराधों में धारा 164 दं. प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के कथन मुख्यालय बैढ़न पर पदस्थ निम्नांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सिमरन गुप्ता द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे, उनके अवकाश पर रहने पर न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सिंगरौली मुख्या. वैढ़न सुश्री प्रिन्सू मिश्रा एवं उनके अवकाश पर रहने पर न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सिंगरौली मुख्या. वैढ़न सुश्री राजश्री भार्गव द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।
2. जिला मुख्यालय बैढ़न पर लगने वाले समस्त थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित प्रकरणों के विचारण का क्षेत्राधिकार सुश्री राजश्री भार्गव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुख्यालय बैढ़न को प्राप्त होने से माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 26 मई 2023 के आलोक में मुख्यालय बैढ़न पर लगने वाले समस्त थानों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अपराधों में धारा 164 दं.प्र.सं./183 बी.एन.एस.एस. के कथन न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सिंगरौली

मुख्या. वैढ़न सुश्री प्रिन्सू मिश्रा एवं उनके अवकाश पर रहने पर न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सिंगरौली मुख्या. वैढ़न सुश्री सिमरन गुप्ता एवं उनके अवकाश पर रहने पर न्यायिक मजिट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सिंगरौली मुख्या. वैढ़न श्री पुष्पेन्द्र भार्गव द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे।

3. यदि किसी भी थाना के समक्ष दर्शित प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट में से कोई भी उपस्थित नहीं हो तो उसके पश्चात कॉलम में दर्शित थाना के समक्ष दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, (विचारण का क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) के पास प्रभार रहेगा ।

15.1.25

(महेन्द्रपाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

—: चार्ज प्रभार :—

क0	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	श्री महेन्द्रपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैढन	श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन
2	श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री प्रिंसु मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन
3	श्री कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री प्रिंसु मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन
4	सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री प्रिंसु मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन
5	सुश्री प्रिंसु मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन
6	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री नीरज पवैया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन
7	सुश्री सिमरन गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	श्री पुष्पेन्द्र भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री प्रिंसु मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन	सुश्री राजश्री भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैढन
8	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्रीमती अदिती तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री अनिल नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर
9	श्रीमती अदिती तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री अनिल नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री हर्षवर्धन राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरई
10	श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री अनिल नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री हर्षवर्धन राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरई
11	श्री अनिल नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर्र	श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्रीमती अदिती तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर
12	श्री हर्षवर्धन राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरई	श्री विष्णुकांत मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री अंकुर तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर	श्री अनिल नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवसर

15.1.25

(महेन्द्रपाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

पृ.क्र. / 03 / सी.जे.एम. / 2025 सिंगरौली, दिनांक :- 20/01/25

प्रतिलिपि:- 1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात्

2. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।

3. माननीय प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम जिला न्यायाधीश मुख्यालय बैढ़न / देवसर जिला सिंगरौली की ओर सादर प्रेषित।

4. श्री / श्रीमती / सुश्री...न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिंगरौली मुख्या0 बैढन / देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0,

5. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिंगरौली म0प्र0

6. प्रस्तुतकार, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली म0प्र0

7. कलेक्टर, जिला सिंगरौली म0प्र0,

8. पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली म0प्र0 की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।

9. जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

10. वन मण्डलाधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

11. जिला आबकारी अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

13. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सिंगरौली म0प्र0,

14. उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

15. श्रम अधिकारी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

16. प्रभारी रेलवे पुलिस (जी0आर0पी0) उप थाना सिंगरौली म0प्र0,

17. थाना जी0आर0पी0 कटनी म0प्र0,

18. नियंत्रक / निरीक्षक नापतौल विभाग, जिला सिंगरौली म0प्र0,

19. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय बैढन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।

20. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ जिला सिंगरौली मुख्यालय बैढन / देवसर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20.1.25

(महेन्द्रपाल सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (म.प्र.)